न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 10/ 24 वर्ष 2024

जीसीएम संख्या :—2024/47

बउनवानीः—1.सूरजमल पुत्र चौथमल हरीजन नि0हरीजन बस्ती बलरिया दरवाजा चौथ का बरवाडा

बनाम

1. गीता देवी पत्नि भवंरदास हरीजन नि0हरीजन बस्ती बलरिया दरवाजा चौथ का बरवाडा
2. संजय पुत्र भवंरदास हरीजन नि0 हरीजन बस्ती बलरिया दरवाजा चौथ का बरवाडा
3. गणेश पुत्र भवंरदास हरीजन नि0 हरीजन बस्ती बलरिया दरवाजा चौथ का बरवाडा
4. नारायण पुत्र चौथमल हरीजन नि0 हरीजन बस्ती बलरिया दरवाजा चौथ का बरवाडा
5. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच
6. सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व पटटा दिनांक 7.11.1989 बहक भवंरदास पुत्र चौथमल, पटटा दिनांक 31.7.2023 बहक श्रीमति गीता देवी पत्नि भवंरदास व पटटा दिनांक 19.10.1982 बहक भवंरदास पुत्र चौथमल हरीजन निवासी चौथ का बरवाडा द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः—1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय — वकील प्रार्थी

2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अप्रार्थी 1—3

3. श्री अजय शेखर दवे — वकील अप्रार्थी 4

4. श्री सुधीर कुमार जैन — वकील अप्रार्थी संख्या 5—6

—: निर्णय :— दिनांक :— 24.7.2024

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा जारी पटटा दिनांक 7.11.1989 बहक भवंरदास पुत्र चौथ मल , पटटा दिनांक 31.7.2023 बहक श्रीमति गीता देवी पत्नि भवंरदास व पटटा दिनांक 19.10.1982 बहक भवंरदास पुत्र चौथमल हरीजन निवासी चौथ का बरवाडा के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित प्रस्ताव/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकार सूरजमल पुत्र चौथ मल द्वारा एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा मे दिनांक 5.11.1987 को प्रस्तुत कर विवादित स्थान पर 36x39 वर्ग फीट भूमि तामीर करने मकान का पटटा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया जिसके साथ संलग्न नक्शे मे उक्त भूमि के उतर दिशा में खाली भूमि सरकारी जिसे किशन हरीजन अपनी होना कहता था दक्षिण मे पडत जमीन सरकारी , पूर्व में पडत जमीन सरकारी, तथा पश्चिम मे मकान प्रार्थी के पिता चौथमल हरीजन का दर्शा[illegible] ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पत्रावली संख्या 507 संघारित की गयी थी। उसी समय प्रार्थी[illegible] भाई नारायण पुत्र चौथमल हरीजन द्वारा एक आवेदन दिनांक 15.10.1989 को ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा [illegible] किया जाकर 30x45 वर्ग फीट भूमि को इसी स्थान पर स्वंय को पुख्ता मकान तामीर करने [illegible] ग्राम पंचायत चौथ का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:21:56 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

के समक्ष पेश किया गया। जिसकी पत्रावली संख्या 435 संघारित की गयी। इसी प्रकार दिनांक 2.3.1983 को पत्रावली संख्या 323 चोथमल पुत्र गोविन्दा हरीजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर संघारित की गयी तथा तीनो पत्रावलियों बाबत अलग–अलग दिनांक को ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के पंचो द्वारा मौका देखकर सबके प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न नक्शे को सही होना बताते हुए इनके नाम पटटा जारी करने की सिफारिश की गयी किन्तु मौके पर तीनो पत्रावलियों के साथ संलग्न नक्शे का एक साथ अवलोकन करने पर सीमाऐ आपस मे कट रही थी तथा नाप के अनुसार सही नही थी इस कारण मौके पर विवाद की स्थिति पैदा होने पर ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 31.8.1989 को तीनो आवेदन कर्ताओ को एक साथ बिठा कर आपसी सहमति से पुनः मौका देखकर नया नक्शा स्वीकृत करते हुए तीन अलग अलग भूखण्ड संख्या A,B,C निर्धारित करते हुए भूखण्ड संख्या A नारायण पुत्र चौथमल तथा भूखण्ड संख्या B प्रार्थी सूरजमल को तथा भूखण्ड संख्या C चोथमल पुत्र गोविन्दा हरीजन को दिया जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार नारायण पुत्र चोथमल हरीजन को स्वीकृत भूखण्ड संख्या A पर दिनांक 7.11.1989 को पटटा जारी कर दिया परन्तु पता नही कैसे प्रार्थी के नाम स्वीकृत भूखण्ड संख्या B का पटटा जो प्रार्थी के नाम जारी किया जाना चाहिए था प्रार्थी के भाई भवंरदास पुत्र चौथमल हरीजन ने अपने नाम दिनांक 7.11.1989 को जारी करा लिया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही हो सकी, इसी प्रकार चौथमल पुत्र गोविन्दा हरीजन के नाम स्वीकृत भूखण्ड संख्या C का पटटा भी प्रार्थी के भाई भवंरदास पुत्र चौथमल ने ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा से मिल कर अपने नाम दिनांक 19.10.1982 को जारी करा लिया जिसकी जानकारी भी प्रार्थी को नही हो सकी। प्रार्थी का भाई भवंर दास क्योकि राजकीय सेवा मे था इस कारण उसने मिलकर ये सारी फर्जी कार्यवाहिया की जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही हो सकी। क्योकि प्रार्थी के नाम का पटटा प्रार्थी के भाई भवंरदास के पास सुरक्षित रखा होने की बात बता रखी थी। दूसरा पटटा जो प्रार्थी के पिता चौथमल हरीजन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर भवंरदास ने अपने नाम बनवा लिया उस पर भवंरदास ने पुख्ता मकान बना लिया है जहॉ भवंरदास अपने परिवार के साथ रहता था जिसका अब स्वर्गवास हो गया है जिसकी पत्नि व बच्चे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 5.4.2024 को अप्रार्थी नारायण पुत्र चौथमल हरीजन द्वारा अपने मकान के नारदाने उजालदान छज्जे आदि प्रार्थी के भूखण्ड की ओर निकालना चाहा जिसका एतराज करने पर भी जब अप्रार्थी नारायण नही रूका तो प्रार्थी ने ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा मे दिनांक 5.4.2024 को आवेदन प्रस्तत कर नारायण हरीजन का निर्माण रूकाना चाहा तो ग्राम पंचायत के अधिकारी ने प्रार्थी से अपने कागजात प्रार्थना पत्र के साथ लगाने की हिदायत दी जाने पर प्रार्थी ने अपने भाई भवंरदास की पत्नि गीता देवी से अपने भूखण्ड का पटटा आदि की नकले मांगी तो उन्होने नही दी इस कारण प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से नकल हेतु आवेदन करदिनांक 12.4.2024 को नकल प्राप्त हाने पर प्रार्थी को सारी जानकारी हो सकी कि किस कारण प्रार्थी के भाई भवंरदास ने प्रार्थी के साथ धोखा धडी कर प्रार्थी के नाम स्वीकृत भूखण्ड का पटटा ग्राम पंचायत से मिलकर अपने नाम बनवा लिया तथा भवंरदास की मृत्यु के बाद भवंरदास की पत्नि गीता देवी ने अपने पति भवंरदास के नाम के पटटे को अपने नाम बनवा लिया जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो निगरानीकार द्वारा यह निगरानी मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 के पिता भवंर दास पुत्र चोथम[illegible] की जानकारी अपीलान्ट को थी जिसकी पुष्टि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पटटा स[illegible]ंक 5.7.2023 की पत्रावली पर दिनांक 5.4.2023 को की गयी आपत्ति से [illegible] प्रार्थी द्वारा यह लिखा गया था कि उक्त भूमि का पटटा चाहने के लिए उसके द्वारा [illegible] 7.11.1987 को आवासीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:21:56 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

मकान का पटटा चाहने का प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमे प्रार्थी के नाम पटटा नही बनाकर प्रार्थी के बडे भाई भवंरदास के नाम से पटटा बना दिया था। अतः श्रीमति गीता देवी के नाम से पटटा जारी नही करने का बाबत आपत्ति दर्ज करवायी गयी जिसका निस्तारण पंचायत द्वारा इस टिप्पणी के साथ किया गया कि प्रार्थी को भवंरदास के पटटे की अपील करनी चाहिए थी पंचायत अपने पटटे को निरस्त नही कर सकती है। अर्थात तत्समय ही प्रार्थी को पटटा निरस्तीकरण की कार्यवाही करनी चाहिए थी। चूंकि गीता देवी के पक्ष मे उक्त पटटा उसके पति के पटटे के स्थान पर दिया गया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया निगरानीकार द्वारा एक ही निगरानी मे तीन–तीन पटटे निरस्त करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है जो एक निगरानी मे दिया जाना न्याय संगत नही है इसके लिए निगरानीकार को पृथक पृथक निगरानी पेश करनी चाहिए थी। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा जारी पटटा दिनांक 7.11.1989 बहक भवंरदास, पटटा दिनांक 31.7.2023 बहक गीता देवी पत्नि भवंर दास, एवं पटटा दिनांक 19.10.1982 बहक भवंरदास पत्र चौथमल हरीजन के विरूद्व एक ही निगरानी पेश की गयी है। इस प्रकार निगरानीकार द्वारा एक ही निगरानी में तीन–तीन पटटो को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो विधि विरूद्व है। इसके साथ यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का ग्राम पंचायत द्वारा किये गये निस्तारण के अनुसार अप्रार्थी के पति भवंरदास के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 7.11.1989 को निरस्त करवाने बाबत निगरानी पेश करनी चाहिए थी। क्योकि पटटा संख्या संख्या 2 दिनांक 31.7.2023 तो अप्रार्थी गीतोदवी के पति भवंरदास के पूर्व पटटा दिनांक 19.10.1982 के स्थान पर भवंरदास की मृत्यु होने पर जारी किया गया है अर्थात उक्त पटटा भवंरलाल की विरासत के आधार पर जारी होने के कारण उक्त पटटे मे कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नही है इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूॅ। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकार का हित ग्राम पंचायत चौथ बरवाडा द्वारा जारी पटटा दिनांक 7.11.1989 से प्रभावित हुआ है इसलिए निगरानीकार उक्त पटटे की पृथक से निगरानी पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत मयाद बाहर निगरानी प्रार्थना खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी 31.7.2023 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:21:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner